द्वारा

डॉ आशीष सिसोदिया

भाषा के कुछ प्रमुख रूप

मूल भाषा - मूल भाषा उस भाषा को कहते हैं जिससे बहुत-सी भाषाएँ निकली हों। उदाहरण के लिए उत्तरी भारत की मूल भाषा संस्कृत है जिससे पालि, प्राकृत, अपभ्रंश होते हिन्दी, मराठी, बंगाली, गुजराती, असमी, पंजाबी, सिंधी, उड़िया आदि निकली है। कभी-कभी मूल भाषा किसी एक भाषा-परिवार की आदि भाषा को भी कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत-हित्ती मूल भाषा है जिससे हित्ती तथा भारोपीय का विकास हुआ और फिर भारोपीय से केंतुम सतम होते भारत-ईरानी, स्लाव, ग्रीक, लैटिन आदि विकसित हुई। मूल भाषा को आदि भाषा भी कहते हैं।

व्यक्तिबोली (पकपवसमबज) - हर व्यक्ति की अपनी भाषा या बोली अन्यों से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए हिन्दी बोलने वाले जितने भी लोग हैं, यों तो वे एक भाषा हिन्दी बोलते हैं, किन्तु हर व्यक्ति की हिन्दी अपनी व्यक्तिगत विशेषता लिए रहती है। किसी भी एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्तिबोली या व्यक्तिभाषा कहते हैं। भाषा या बोली की भाँति ही व्यक्तिबोली में भी व्यक्ति में विकास के साथ-साथ विकास या परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन यों तो अन्य क्षेत्रों में भी थोड़ा-बहुत सम्भव है किन्तु मुख्यतः शब्दसमूह के क्षेत्र में होता है।

स्थानीय बोली (स्वबंस कपंसमबज) - किसी अत्यन्त छोटे क्षेत्र या स्थान विशेष की बोली कभी-कभी अपनी विशेषता लिए रहती है, जिसे स्थानीय बोली कहते हैं। उदाहरण के लिए ’बनारसी‘ स्थानीय बोली है जो बनारस शहर में बोली जाती है। अनेक व्यक्ति बोलियों से मिलकर स्थानीय बोली बनती है और कई स्थानीय बोलियाँ मिलकर उपबोली। इस प्रकार स्थानीय बोली क्षेत्र की दृष्टि से व्यक्तिबोली और उपबोली के बीच में आती है।

उपबोली (ैनइ.कपंसमबज) - कभी-कभी कइ्र्र स्थानीय बोलियों के सामूहिक रूप को उपबोली कहते हैं। किसी एक बोली के क्षेत्र में कई उपबोलियाँ हो सकती हैं। जैसे ब्रजभाषा के क्षेत्र में भुक्सा, अन्तर्वेदी, डाँगी, जादोवाटी आदि उपबोलियाँ बोली जाती हैं। इस तरह उपबोली की स्थिति स्थानीय बोली और बोली के बीच की है।

उपभाषा (ैनइ.संदहनंहम) - कभी-कभी कुछ भाषाओं के अन्तर्गत कुछ ऐसे बड़े उपरूप मिलते हैं जिनमें हरएक के अन्तर्गत कई बोलियाँ होती हैं। इन्हें उपभाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए हिन्दी के अन्तर्गत पाँच उपभाषाएँ मानी गई हैं - पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, पहाड़ी तथा बिहारी। हर भाषाके अन्तर्गत कई-कई बोलियाँ होती हैं, जैसे - पश्चिमी हिन्दी के अन्तर्गत खड़ी बोली, ब्रज, बुन्देली आदि या पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत अवधी, छत्तीसगढ़ी आदि।

इस प्रकार एक भाषा के अन्तर्गत कई उपभाषाएँ हो सकती हैं। एक उपभाषा के अन्तर्गत कई बोलियाँ हो सकती हैं, एक उपबोली के अन्तर्गत कई स्थानीय बोलियाँ हो सकती हैं तथा प्रत्येक स्थानीय बोली के अन्तर्गत उतनी व्यक्तिगत बोलियाँ होती हैं, जितने लोग उन स्थानीय बोली को बोलते हैं।

मानक अथवा परिनिष्ठित भाषा (ैजंदकंतक संदहनंहम) - किसी भाषा के प्रयोग की दृष्टि से आदर्श रूप को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। भाषा का यह रूप पूरे भाषा-क्षेत्र में शिक्षा, शासन, साहित्य रचना तथा विचार-विनिमय का साधन होता है। उदाहरण के लिए खड़ी बोली हिन्दी का परिनिष्ठित रूप पूरे हिन्दी प्रदेश की परिनिष्ठित भाषा है। भाषा-विषयक शुद्धि-अशुद्धि का निर्धारण करने के लिए परिनिष्ठित भाषा ही कसौटी मानी जाती है। परिनिष्ठित भाषा अपने पूरे प्रदेश की भाषाओं और बोलियों को प्रभावित करती है।

राज्यभाषा या राजभाषा (व्ििपबंस संदहनंहम)- किसी देश या प्रदेश के राज-काल या शासन में जिस भाषा का प्रयोग होता है, उसे राजभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हिन्दी भारत की राजभाषा है, जिसका अर्थ यह है कि केन्द्र अपना कार्य हिन्दी में करे, साथ ही विभिन्न प्रदेश शासन-संबंधी आपसी पत्र-व्यवहार या केन्द्र के साथ पत्र-व्यवहार हिन्दी के माध्यम से करे।

राष्ट्रभाषा (छंजपवदंस संदहनंहम) - बहुधा लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक समझते हैं, किन्तु वस्तुतः दोनों में अन्तर है। राजभाषा का प्रयोग तो राज-काज में होता है, किन्तु राष्ट्रभाषा का प्रयोग उसके बाहर भी होता है। उदाहरण के लिए भारत की राजभाषा हिन्दी है। यह उद्देश्य तब पूर्ण माना जाएगा जब केन्द्र अपना कार्य हिन्दी में करने लगे तथा सभी प्रदेश केन्द्र के साथ अपना पत्र-व्यवहार हिन्दी में करे। यही नहीं भारत अन्य देशों के साथ भी हिन्दी में पत्र-व्यवहार करे। हिन्दी राष्ट्रभाषा तब कही जा सकती है जब जनता के स्तर पर वह सम्पर्क भाषा बन जाए अर्थात् राजभाषा तो वह हो ही जाय साथ ही एक प्रदेश का निवासी जब दूसरे प्रदेश में जाए तो वह अंग्रेजी आदि का प्रयोग न कर हिन्दी का प्रयोग करे। इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन में हिन्दी आपसी सम्पर्क की महत्त्वपूर्ण कड़ी बनने पर राष्ट्रभाषा कही जा सकती है।

गुप्त भाषा (ैमबतमज संदहनंहम वत बवकम संदहनंहम) - सामान्यतः भाषा सामान्य समाज की होती है, किन्तु गुप्त भाषा विशेष वर्ग की होती है। इसका उद्देश्य होता है आपसी विचार-विनिमय को सामान्य लोगों से छिपाए रखना। उदाहरण के लिए चोर, डाकू, क्रांतिकारी, सेना, दलाल, स्काउट तथा कुछ मित्र-मंडलियों में ऐसी भाषाओं का प्रचलन रहा है, जिन्हें दूसरे समझ न सके। ऐसी भाषाएँ सामान्य भाषाओं से शब्द-समूह, अभिव्यक्ति-पद्धति, शब्दार्थ आदि कई दृष्टियों से भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए कुछ डाकुओं की गुप्तभाषा में ’परसाद‘ दो (जहर दो), पूजा करो (मारो) जैसे शब्द प्रयोग विशेष अर्थ रखते हैं।

कृत्रिम भाषा (।तजपपिबपंस संदहनंहम) - कृत्रिम भाषा का प्रयोग कभी-कभी उपर्युक्त प्रकार की गुप्त भाषाओं के लिए होता है जो सहज न होकर कुछ तोड़ी-मरोड़ी होती है। कभी-कभी अत्यंत कृत्रिमता युक्त (शब्दावली आदि के क्षेत्र में ) भाषा को भी कृत्रिम भाषा कहते हैं। कुछ छायावादी कवियों के कुछ गद्यांश इस श्रेणी के हैं। कृत्रिम भाषा का सर्वाधिक प्रयोग ऐसी भाषाओं के लिए होता है जो आद्यन्त कृत्रिम रूप से बनाई जाती है। कई लोगों ने पूरे विश्व के लिए अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में ऐसी कृत्रिम भाषाएँ बनाई हैं। ऐसी भाषाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध एस्परैंतो है। यह भाषा कई भाषाओं से कुछ थोड़े-थोड़े भाषिक तत्त्वों को लेकर बनाई गई है।

साहित्यिक भाषा - इसका प्रयोग साहित्य तक सीमित रहता है। बोलचाल की भाषा से यह प्रायः व्याकरण और शब्दावली की दृष्टि से कुछ भिन्न होती है। बोलचाल की भाषा में भाषा की नवीनतम प्रवृत्तियों को स्थान मिलता है, किन्तु इसमें प्रायः वे नहीं आने पाती। उदाहरण के लिए हिन्दी में मेरे को, मेरे से में बोलचाल में तो आने लगे हैं किन्तु साहित्यिक भाषा में अभी ये अपना स्थान नहीं बना सके हैं। इसी प्रकार साहित्यिक भाषा में कुछ कृत्रिमता मिलती है जबकि बोलचाल की भाषा अधिक सहज होती है।

अपभाषा (ैसंदह) -भाषा में कुछ ऐसे प्रयोग आ जाते हैं जो सामाजिक दृष्टि से उपयुक्त होते हैं, किंतु व्याकरण एवं शिष्ट रुचि से गृहणीय नहीं होते तो उसे अपभाषा की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार की भाषा में (1) भाषा में स्वीकृत शास्त्रीय आदर्शों की अवहेलना होती है; अर्थात् इस भाषा में शुद्धता और श्लीलता पर विशेष बल नहीं दिया जाता है। (2) इस भाषा में शब्दों के निर्माण में किसी भी विधि का ध्यान नहीं रखा जाता है अर्थात् शब्द निर्माण में सिद्धान्तों को नहीं अपनाया जाता है। ’अगड़धत्त‘ शब्द के निर्माण में किसी विधि या सिद्धान्तों को नहीं अपनाया गया है। (3) इस भाषा में शब्दों का प्रयोग मान्य अर्थ से कुछ हीन अर्थ में किया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली में कहा जा सकता है कि अपभाषा में शब्दों में अर्थापकर्ष की प्रकृति दृष्टिगोचर होती है, उदा० ’उसने मुझे धसा दिया, उसकी खूब मरम्मत की गई, कहो भाई खूब धूल चाटी, आदि। या कोई कहे उसने खूब मक्खन लगाया। (4) अपभाषा का प्रसार एक सीमित वर्ग, समवयस्कों और श्रेणियों में ही सीमित रहता है। एक विशेष प्रकार इस सीमा में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है।

वास्तव में देखा जाए तो अपभाषा में शिष्टता का लोप तथा लोक मर्यादा की उपेक्षा होती है और यह सब जानबूझकर होती है। इस भाषा से प्रयोक्ता के शैक्षिक तथा मानसिक स्तर का ज्ञान आसानी के साथ प्राप्त कर लिया जाता है। इस भाषा के निर्माण के पीछे नवीनता, उच्छृंखलता और संस्कारहीनता हुआ करती है। प्रयोग होते-होते कालान्तर में बहुत से शब्द शिष्ट भाषा में स्थान सुरक्षित कर लेते हैं।

विशिष्ट भाषा - भाषा सामान्य से हटकर जब व्यवसाय विशेष की भाषा बन जाती है तो उसे विशिष्ट की संज्ञा दी जाती है। वास्तविकता यह है कि समाज में व्यवसायानुसार अनेक श्रेणियाँ बन जाती हैं। किसान, मजदूर, धोबी, दर्जी, दुकानदार, इंजीनियर, डाक्टर, विद्यार्थी, पंडित, अध्यापक, पंडित, पुजारी, मौलवी, आदि सबकी शब्दावली अलग-अलग होती है जो वास्तव में एक पारिभाषिक की होती है। हम किसी की भाषा से उसके व्यवसाय का अनुमान आसानी से और सही-सही लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति अमुक व्यवसाय में कार्य करने वाला है।